भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2582

उत्तर देने की तारीख : 07.08.2024

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए योजनाएं

2582. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की प्रमुख योजनाओं और राजस्थान के अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति में किए गए सुधार का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदान किए गए, लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई नई योजना शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): सरकार अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से छह (6) केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। ये योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए हैं। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं:

पिछले पांच वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात् (i) मैट्रिक-पूर्व, (ii) मैट्रिकोत्तर और (iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं लागू की हैं। 2022-23 से, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कवरेज को भी केवल कक्षा IX और X तक सीमित कर दिया गया है। मैट्रिकोत्तर योजना में कक्षा XI से पीएचडी तक शामिल हैं, जबकि मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रम शामिल हैं। बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (BHMNS) योजना, जो केवल कक्षा IX से XII तक की छात्राओं के लिए थी, 2022-23 से मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर योजना में शामिल कर दी गई है। ये योजनाएं राजस्थान राज्य और उसके जिलों सहित पूरे देश में लागू की गई हैं।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान तीन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत राशि नीचे दी गई है।

करोड़ रुपये में

योजना	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	1108.13	1176.19	1324.84	1325.54	1350.99
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	479.72	354.89	428.77	512.81	411.87
मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	388.79	261.17	285.63	396.34	345.77

बुनियादी ढांचा विकास योजना

(i) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)
देश की अल्पसंख्यक आबादी के कल्याण और वित्तीय सशक्तीकरण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही प्रमुख योजनाओं में से एक "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" (PMJVK) है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) है जिसका उद्देश्य देश में अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यक आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास करना है।

योजना के अंतर्गत शामिल प्राथमिकता वाले क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केंद्रित परियोजनाएं, पेयजल और आपूर्ति, स्वच्छता, खेल आदि हैं। योजना के अंतर्गत शामिल बुनियादी ढांचे में स्कूल भवन (आवासीय स्कूल सहित), लड़कों और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, स्टेडियम, सामुदायिक सेवा केंद्र, शौचालय ब्लॉक, आईटीआई संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, कौशल केंद्र आदि हैं, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, महिला केंद्रित सुविधाओं आदि में सुधार हो सके।

अब तक, इस योजना के अंतर्गत लगभग 11 लाख इकाइयों को मंजूरी दी गई है (जिसमें लगभग 5 लाख गैर-बुनियादी ढांचा इकाइयां शामिल हैं) जिसकी राशि 25027.33 करोड़ रुपये है, जिसका उपयोग स्कूल भवनों, छात्रावासों, कौशल केंद्रों, कॉलेज भवनों, आवासीय स्कूल भवनों, अस्पतालों, स्टेडियमों, महिला केंद्रित सुविधाओं आदि के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सीजीओ के लिए किया गया है।

योजना के निरीक्षण के बाद से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अंतर्गत राजस्थान के लिए जिलावार स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** पर है।

रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण योजनाएं:

(i) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) की एक प्रमुख योजना है, जो छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मंत्रालय की पांच पूर्ववर्ती योजनाओं 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'उस्ताद', 'नई रोशनी' और हमारी धरोहर को एकीकृत करती है। पीएम विकास योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

i) कौशल और प्रशिक्षण घटक
ii) महिला नेतृत्व और उद्यमिता घटक
iii) शिक्षा सहायता घटक (बीच में स्कूल छोड़ने वालों के लिए)

इसके अलावा, इस योजना का लक्ष्य लाभार्थियों के लिए ऋण और बाजार संपर्क को बढ़ावा देना है।

मंत्रालय की पूर्ववर्ती कौशल योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

सीखो और कमाओ (SAK) योजना (2014-15 में शुरू) का लक्ष्य अल्पसंख्यक युवाओं (14-45 वर्ष) के कौशल को विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना था, जिससे उन्हें उपयुक्त रोजगार मिल सके या वे स्वरोजगार करने के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बन सकें। नई मंजिल योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं, बीपीएल परिवारों के बीच में स्कूल छोड़ने वालों को लाभ पहुंचाना और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सहायता प्रदान करना था। उस्ताद योजना 2015 में शुरू हुई और इसका लक्ष्य मास्टर शिल्पकारों/कारीगरों के पारंपरिक कौशल का क्षमता निर्माण और उन्नयन करना था। नई रोशनी योजना 2012-13 में शुरू की गई थी और इसे अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और बिचौलियों के साथ बातचीत करने के लिए ज्ञान, उपकरण और तकनीक प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना था।

ये योजनाएं परियोजना-स्तर के आधार पर लागू की गई थीं, न कि राज्य-वार। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान राज्य में प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है। प्रशिक्षित लाभार्थियों का जिला-वार विवरण नहीं रखा जाता है।

योजना का नाम	**योजना की शुरुआत से लेकर अब तक राजस्थान में प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या**
सीखो और कमाओ	15,899
नई मंजिल	2,766
उस्ताद	867
नई रोशनी	18,600

(ii) NMDFC संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केनरा बैंक द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से सावधि ऋण, शिक्षा ऋण, विरासत योजना और सूक्ष्म वित्त योजना की अपनी योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार आय सृजन गतिविधियों के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यकों के बीच "पिछड़े वर्गों" को रियायती ऋण प्रदान करता है।

राजस्थान राज्य में, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी निगम (RMFDCC) एनएमडीएफसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA) है। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान RMFDCC के माध्यम से राजस्थान राज्य में NMDFC योजनाओं के अंतर्गत वितरित रियायती ऋण और शामिल किए गए लाभार्थियों का जिलेवार विवरण **"अनुबंध-II"** पर संलग्न है। पिछले 5 वर्षों के दौरान अर्थात् वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक 8.36 लाख से अधिक लाभार्थियों को रियायती ऋण के रूप में 3600 करोड़ रू. की राशि उपलब्ध कराई गई है।

(ग) सरकार नई शुरू की गई पीएम विकास योजना के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

*****

अनुबंध-I

श्री मुरारी लाल मीना द्वारा "अल्पसंख्यक समुदायों के लिए योजनाएं" के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2582 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जिले का नाम	परियोजनाओं का नाम	अनुमोदित इकाइयों की संख्या
अजमेर	आवासीय स्कूल	1
	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	1
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	37
	स्वास्थ्य परियोजनाएं	5
	सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	1
अलवर	आवासीय स्कूल	1
	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	8
	कॉलेज	7
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	692
	स्कूल में स्मार्ट कक्षा/कंप्यूटर प्रयोगशाला/शिक्षण सहायक सामग्री	54
	स्कूल में अन्य बुनियादी ढांचा	12
	स्वास्थ्य परियोजनाएं	35
	आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	2
	सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	5
	गैर सिविल कार्य- साइकिल/फर्नीचर/उपकरण/प्रशिक्षण	3200
बांसवाड़ा	कॉलेज	1
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	23
	स्कूल में स्मार्ट कक्षा/कंप्यूटर प्रयोगशाला/शिक्षण सहायक सामग्री	0
	स्कूल में अन्य बुनियादी ढांचा	1
	सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	1
बाड़मेर	स्कूल भवन	3
	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	1
	कॉलेज	2
	अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/स्कूलों में लैब/हॉल	113
	स्मार्ट क्लासरूम/कंप्यूटर लैब/स्कूल में शिक्षण सहायक सामग्री	3
	स्वास्थ्य परियोजनाएं	5
	आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	1
	आंगनवाड़ी केन्द्र	7
	गैर-सिविल कार्य- साइकिल/फर्नीचर/उपकरण/प्रशिक्षण	800
भरतपुर	आवासीय स्कूल	1
	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	4
	कॉलेज	3

	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/लैब/हॉल	249
	स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम/कंप्यूटर लैब/शिक्षण सहायक सामग्री	23
	स्वास्थ्य परियोजनाएं	20
	आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	1
	आंगनवाड़ी केन्द्र	54
	सामुदायिक सेवा केन्द्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	2
	गैर-सिविल कार्य- साइकिल/फर्नीचर/उपकरण/प्रशिक्षण	1600
बीकानेर	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	1
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/लैब/हॉल	14
बूंदी	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	1
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/लैब/हॉल	8
	सामुदायिक सेवा केन्द्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	6
	खेल परियोजनाएं	4
चित्तौड़गढ़	स्वच्छता परियोजनाएं	1
चुरू	स्कूल भवन	3
	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	1
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	43
	स्कूल में स्मार्ट कक्षा/कंप्यूटर प्रयोगशाला/शिक्षण सहायक सामग्री	5
	स्कूल में अन्य बुनियादी ढांचा	11
	स्वास्थ्य परियोजनाएं	2
	सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	1
गंगानगर	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	3
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	84
	स्वास्थ्य परियोजनाएं	3
	सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	1
हनुमानगढ़	स्कूल भवन	21
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	239
	स्कूल में स्मार्ट कक्षा/कंप्यूटर प्रयोगशाला/शिक्षण सहायक सामग्री	1
	स्कूल में अन्य बुनियादी ढांचा	34
	आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	1
	आंगनवाड़ी केंद्र	10
	सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	2
	गैर सिविल कार्य- साइकिल/फर्नीचर/उपकरण/प्रशिक्षण	800
जैसलमेर	स्कूल भवन	0
	आवासीय स्कूल	1
	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	5
	कॉलेज	1

	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	75
	स्कूल में स्मार्ट कक्षा/कंप्यूटर प्रयोगशाला/शिक्षण सहायक सामग्री	10
	स्वास्थ्य परियोजनाएं	24
	आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	0
	आंगनवाड़ी केन्द्र	21
	सामुदायिक सेवा केन्द्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	2
	गैर-सिविल कार्य- साइकिल/फर्नीचर/उपकरण/प्रशिक्षण	1600
झुंझुनू	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	2
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	21
	स्कूल में स्मार्ट कक्षा/कंप्यूटर प्रयोगशाला/शिक्षण सहायक सामग्री	1
	स्कूल में अन्य बुनियादी ढांचा	1
	सामुदायिक सेवा केन्द्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	1
नागौर	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	4
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	43
	स्कूल में स्मार्ट कक्षा/कंप्यूटर प्रयोगशाला/शिक्षण सहायक सामग्री	5
	स्कूल में अन्य बुनियादी ढांचा	2
	आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	0
	सामुदायिक सेवा केन्द्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	2
	गैर-सिविल कार्य- साइकिल/फर्नीचर/उपकरण/प्रशिक्षण	800
सवाई माधोपुर	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	2
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	20
	आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	1
	सामुदायिक सेवा केन्द्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	2
	गैर सिविल कार्य - साइकिल/फर्नीचर/उपकरण/प्रशिक्षण	800
सीकर	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	2
	कॉलेज	0
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	4
टोंक	स्कूल/आईटीआई/पॉलिटेक्निक के लिए छात्रावास	3
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	65
	स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं/कंप्यूटर प्रयोगशाला/शिक्षण सहायक सामग्री	2
	आईटीआई/आईटीआई के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा	1
	सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	1
	कॉलेज में बुनियादी ढांचा	4
	2 गैर सिविल कार्य- साइकिल/फर्नीचर/उपकरण/प्रशिक्षण	800
उदयपुर	आवासीय स्कूल	1
	स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं/पुस्तकालय/प्रयोगशाला/हॉल	3
	स्कूल में अन्य बुनियादी ढांचा	1

	सामुदायिक सेवा केंद्र/सद्भाव मंडप/सामुदायिक हॉल	1

अनुबंध-II

"अल्पसंख्यक समुदायों के लिए योजनाएं" के संबंध में श्री मुरारी लाल मीना द्वारा दिनांक 07.08.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2582 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान RMFDCC के माध्यम से राजस्थान राज्य में NMDFC योजनाओं के अंतर्गत वितरित रियायती ऋण और कवर किए गए लाभार्थियों का जिलावार विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	वित्तपोषित लाभार्थियों की संख्या	वितरित रियायती ऋण की राशि (लाखों में)
1	अजमेर	40	68.05
2	अलवर	28	52.63
3	बांसवाड़ा	96	141.82
4	बारां	28	30.46
5	बाड़मेर	35	19.82
6	भरतपुर	35	62.09
7	भीलवाड़ा	60	88.53
8	बीकानेर	44	68.37
9	बूंदी	30	39.70
10	चित्तौड़गढ़	74	84.77
11	चुरू	67	115.69
12	दौसा	62	101.89
13	धौलपुर	14	13.42
14	डूंगरपुर	28	42.59
15	हनुमानगर	9	15.36
16	जयपुर	59	114.39
17	जैसलमेर	48	66.61
18	जालौर	40	68.23
19	झालावाड़	67	80.20
20	झुंझुनूं	31	58.57
21	जोधपुर	64	105.55
22	करोली	39	35.99
23	कोटा	54	100.89
24	नागौर	72	70.27
25	पाली	43	52.03
26	प्रतापघर	69	93.79
27	राजसमंद	29	31.33
28	सवाई माधोपुर	52	77.27
29	सीकर	26	33.52
30	सिरोही	33	48.65
31	श्रीगंगानगर	9	6.33
32	टोंक	43	85.54
33	उदयपुर	42	76.93
	कुल	**1470**	**2151.25**

*****